उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-08/2026/29/अस्सी-2-2026/80-2099/6/2026-E-2020445
लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2026

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली,1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि ग्राम बहुआ देहात, परगना अयाहशाह, तहसील और जिला फतेहपुर में मै0 पवन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांधी नगर बहुआ, जिला फतेहपुर के स्वामित्वाधीन नीचे ब्यौरेवार क्षेत्र, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल एवं सब्जी के थोक सौदों हेतु बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

<u>मण्डी उपस्थल की खसरा एवं चौहद्दी</u>

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फतेहपुर, जिला फतेहपुर के मण्डी क्षेत्र के भीतर अवस्थित गाटा संख्या-433 का कुल भूमि क्षेत्रफल 0.9432हे0

पूरब - गाटा संख्या 430 नहर।

पश्चिम - गाटा संख्या 302 बांदा सागर रोड।

उत्तर - गाटा संख्या 432 श्रीमती कमला सिंह आदि की भूमि (आबादी)।

दक्षिण - गाटा संख्या 434 उ0मा0 विद्यालय बहुआ(रानी लक्ष्मीबाई बालिका इण्टर कालेज)।

आज्ञा से,

रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-08/2026/29(1)/अस्सी-2-2026/80-2099/6/2026-E-2020445, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अँग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 02सितम्बर,2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड-(ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

3) निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।

4) जिलाधिकारी,फतेहपुर।

5) उप निदेशक, (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, प्रयागराज।

6) सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फतेहपुर।

7) सहायक कृषि विपणन अधिकारी, प्रयागराज।

8) ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक,फतेहपुर।

9) श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, प्रोपराइटर, फर्म मै0 पवन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पता गांधी नगर बहुआ, जनपद फतेहपुर।

10) गार्ड बुक।

टी0 के0 शिबु
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.08/2026/29/अस्सी-2-2026/80-2099/6/2026-E-2020445 dated 02 September, 2026

NOTIFICATION

No.08**/2026/29/अस्सी-2-2026/80-2099/6/2026-E-2020445**

Lucknow Dated 02 **September, 2026**

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. 25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by M/s Pawan Gramodyog Seva Sansthan, Gandhi Nagar Bahua, District Fatehpur in Village Bahua Dehat, Pargana Ayahshah, Tehsil and District Fatehpur shall function as Market Sub-Yard for specified wholesale transaction of foodgrains, pulses, oilseeds, fruits and vegetables for a period of twenty (20) years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from the agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Gata no. 433, Total land Area of 0.9432 hectares, located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Fatehpur District Fatehpur.

East - Gata No. 430 Canal.
West - Gata No. 302 Banda Sagar Road.
North - Gata No. 432 Land of Mrs. Kamla Singh, etc. (Aabaadee).
South - Gata No. 434 Higher Secondary School Bahua (Rani Lakshmi Bai Girls Inter College).

By order,

Ravinder
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in